IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शोधार्थी

मेघा डडसेना

सहायक प्राध्यापक

पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांश :–

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत, भारत सरकार ने देश के छोटे कारोबारियों की मदद करने के लिए मुद्रालोन की व्यवस्था की है ताकि उन्हे पूँजी सम्बन्धी खर्च के साथ–साथ संचालन सम्बन्धी खर्च उठाने मे भी मदद मिल सके। इस लोन के माध्यम से अधिक से अधिक 10 लाख रूपये तक का लोन लिया जा सकता है। मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंको या लोन संस्थानो को कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। इस लोन का भुगतान पॉच साल तक किया जा सकता है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों तरह के क्षेत्रों में बैंकिग और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में लोगों के लिए बुनियादी बैकिंग सुविधाओ का अभाव है उन क्षेत्रों में इस स्कीम के माध्यम से वित्तीय मदद ली जा सकती है। महिला उधारकर्ताओं को यह लोन, डिस्काउटेड इंटरेस्ट रेट्स पर मिलता है इस योजना के माध्यम से लिए गए पैसों का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के लिए ही किया जा सकता है।

प्रमुख शब्द :–

मुद्रा, सूक्ष्म और लघु उद्यम, शिशु, किशोर, तरूण।

प्रस्तावना :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। मुद्रा (MUDRA- Micro Units Development and Refinance Agency) का शुभारंभ 8 अप्रेल 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किया गया। हर आदमी या तो बेहतर नौकरी चाहता है या फिर एक अच्छा व्यापार करना चाहता है। व्यापार करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और उनकी आर्थिक कठिनाइयों का अंत नही होता है। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई PMMY) आरंभ की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्रो में गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रूपये तक के सूक्ष्म ऋण/ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इन सूक्ष्म और लघु इकाइयों में ग्रामीण और शहरी में छोटी विनिर्माण इकाइयों, सेवा क्षेत्र की इकाइयों, दुकानदारों, फलो/सब्जी विक्रेताओ, ट्रक आपरेटरों, खाद्य सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, छोटे उद्योगों, कारीगर, खाद्य प्रोसेसर और अन्य के रूप में चलने वाली लाखों स्वामित्व/साझेदारी फर्म शामिल है। परन्तु ध्यान देने वाली बात यह है की मुद्रा योजना के तहत ऋण केवल बैंको और ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शामिल है :–

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, राज्य द्वारा संचालित सहकारी बैंक, सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाले संस्थान बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय कंपनियाँ।

शोध पत्र का उद्देश्य :–

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. मुद्रा योजना के वर्ष 2020–21 के तहत विभिन्न श्रेणीयों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना।
3. भारत के शीर्ष 10 राज्यो में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रदर्शन का अध्ययन करना।

शोध पध्दति :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आँकड़ो पर आधारित है। आकड़ो का संग्रहण, सरकार के वार्षिक रिपोर्ट, सरकारी वेबसाइट, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, लेख, किताबे तथा शोध पत्रों से लिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

इस योजना के तहत मुद्रा बैंक लघु उद्योगों को तीन चरणों में लोन प्रदान करेगा –

1. शिशु– इस पहले चरण में उद्योगों को 50,000 तक के ऋण दिये जायेगें।
2. किशोर– इस चरण में 50,000 से 5 लाख तक के ऋण दिये जायेगे।
3. तरूण– इस अंतीम चरण में 10 लाख तक के ऋण प्रदान किये जायेगें।

मुद्रा योजना के उद्देश्य :–

मुद्रा योजना की शुरूआत इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान पूरा किये जाने वाले कई उद्देश्यो को ध्यान में रखकर की गई थी। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित है –

- लघु/सूक्ष्म उद्योगों के वित्तपोषण के लिए नीति दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए।
- सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और संबंधित संस्थाओं को पंजीकृत करना और फिर उन्हे विनियमित करना।
- छोटे व्यवसायों को विकसित करने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए।
- निम्न आय समूहों को उनके व्यवसाय के निर्माण और विस्तार मे सहायता करना।
- बैंक रहित लोगों के लिए वित्त तक आसान पहुँच बनाने में सहायता करना और उनकी वित्त की लागत को कम करने में सहायता करना।
- एस.सी./एस.टी. को ऋण देने में प्राथमिकता प्रदान करना।
- व्यापार, विनिर्माण और सेवा से संबंधित सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को विनियमित करने के लिए।

इस योजना के तहत ऋण निम्न कार्यो के लिए प्राप्त किया जा सकता है जैसे– वाणिज्य वाहन ऋण, परिवहन वाहन ऋण, कार्यशील पूँजी ऋण, संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण, कृषि–संबंध्द और कृषि आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण, व्यापारियों एवं दुकानदारों के लिए व्यवसाय ऋण आदि।

संस्थावार प्रदर्शन–

वर्ष 2020–21 के लिए पीएमएमवाई के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.50 लाख करोड़ था, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी पहुँच और उपस्थिति के आधार पर विभिन्न ऋण देने वाले संस्थानों, बैकों, एमएफआई और बीएफसी में वितरित किया गया था। वर्ष 2020–21 के लिए उनके समग्र लक्ष्यों के विरूध्द श्रेणीवार प्रदर्शन इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक – 1

संस्थावार प्रदर्शन (करोड़ रू. में)

क्र.	वर्ग	लक्ष्य 2020–2021	स्वीकृत राशि 2020–21	स्वीकृत राशि 2019–20	विकास
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैक (क्षेत्रिय ग्रामीण बैंको सहित)	128500	129915 (101%)	117729	(10%)
2.	नीजी क्षेत्र के बैंक (विदेशी बैंको सहित)	917000	9361320 (102%)	91780	(2%)
3.	लघु वित हैंक्स	29800	1964668 (66%)	29501	(33%)
4.	सूक्ष्म वित्त संस्थान	59200	4660140 (79%)	57967	(20%)
5.	गैर बैंकिंग वित्त	40800	3198317 (78%)	40518	(21%)
6.	कुल	350000	321759 (92%)	337495	(5%)

स्त्रोत–वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020–21 का कुल लक्ष्य 3.50 करोड़ मजूरी राशि 321759 (5%) की वृध्दि दर के साथ, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सहित) का लक्ष्य 128500 था, निजी क्षेत्र के बैंको (विदेशी बैंको सहित) का लक्ष्य 91700 था, लघु बैंको का लक्ष्य था, 29800 सूक्ष्म विता संस्थान 59,200 गैर–बैंकिग विता कम्पनियॉ 40800 थी।

वित्तीय वर्ष (2020–21) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (क्षेत्रीय ग्रांमीण बैंको सहित) के लिए 2% की वृध्दि दर के साथ 93613.20 थी। लघु वित्त बैंक (33%) की वृध्दि दर के साथ 19646.68 थे, सूक्ष्म विता संस्थान (20%) की वृध्दि दर के साथ 46601.40 थे, गैर–बैंकिग वित्त कंपनियॉ (21%) की वृध्दि दर के साथ 31983.17 थी।

तालिका क्रमांक – 2

शीर्ष 10 राज्यो का प्रदर्शन (करोड़ रूपये में)

क्र.	राज्य का नाम	स्वीकृति राशि 2020–2021	स्वीकृति राशि 2019–2020
1.	कर्नाटक	30199.18	30188
2.	पश्चिम बंगाल	29335.98	26790
3.	उत्तर प्रदेश	29231.35	30949
4.	तमिलनाडु	28967.97	35017
5.	बिहार	25589.31	27442
6.	महाराष्ट्र	25208.63	27903
7.	राजस्थान	18571.38	19662
8.	मध्यप्रदेश	18474.24	19060
9.	उड़िशा	15328.63	15419
10.	आंध्रप्रदेश	12028.33	10439.93
कुल		**232935**	**242869.93**

स्त्रोत–वार्षिक रिपोर्ट

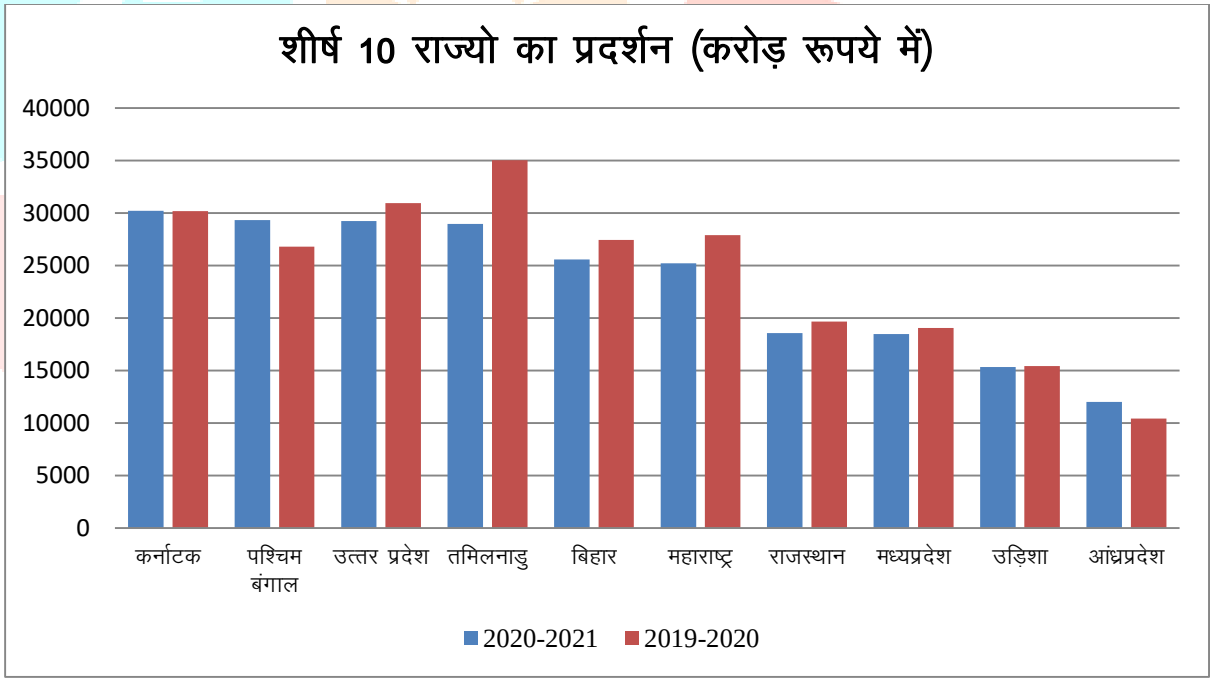

तालिका क्रमांक 2 के अनुसार शासन द्वारा संस्थावार लक्ष्य दिये गये थे। भारत में उन्हें उनके नेटवर्क और उधार देने की क्षमता के आधार पर संबंधित ऋण संस्थाओं द्वारा राज्यवार लक्ष्य दिये गये थे। भारत में उन्हे उनके नेटवर्क और उधार देने की क्षमता के आधार पर संबंधित ऋण संस्थानों द्वारा राज्यवार उप–आबंटित किया गया था। राज्य स्तरीय प्रदर्शन की निगरानी राज्यों के संबंधित एसएलबीसी द्वारा की जा रही है। सभी राज्यों में सें, कर्नाटक 30199.18 करोड़ की मंजूरी के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद पश्चिम बंगाल 29335.98 करोड़ के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 29231.25 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

निष्कर्ष :–

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है की छोटे व्यापारियों एवं कारोबारियों को तथा बेरोजगार युवाओं को मुद्रा योजना के तहत आसानी से ऋण प्राप्त हो जाते है जिससे की वह अपने जीवन यापन के लिए कार्य कर सके। इससे उनकी मुद्रा सम्बन्धी समस्या का बहुत बड़ा हल प्राप्त हुआ है। संस्थावार प्रदर्शन के आधार पर हम देखते है की वित्त वर्ष 2020–21 का कुल लक्ष्य 3.50 करोड़ रखा गया था। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (क्षेत्रिय ग्रामीण बैंको सहित) 10% तथा नीजी क्षेत्र के बैंक (विदेशी बैंको सहित) 2% तथा लघु वित्त हैक्स में 33% सूक्ष्म वित्त संस्थान में 20% गैर–बैंकिंग वित्त में 21% तक विकास हुआ। शीर्ष 10 राज्यो के प्रदर्शन के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि सभी राज्यों में कर्नाटक 30199.18 करोड़ की मंजूरी के साथ शीर्ष पर रहा इसके बाद पश्चिम बंगाल 29335.98 करोड़के साथ दूसरे तथा उत्तर प्रदेश 29231.25 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. Gupta S. MUDRA: Financial Inclusion of the Missing Middle. Indian Journal of Applied Research. 2015, 5(11).

2. Kumar S. Impact of Mudra Yojana on Financial Inclusion. 6th International Conference on Recent Trends in Engineering, Science & Management. Punjab, 2017.

3. Mol TP S. Financial Inclusion: Concepts and Overview in Indian Context. Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology. 2014;3:28-35

4. Ramesh, P. Performance Evaluation of Mudra Bank Schemes - A Study. Anveshana's International Journal of Research in Regional Studies, Law, Social Sciences, Journalism and Management Practices. 2016, 116-120.

5. Roy, Anup Kumar. "Mudra Yojana- A Strategic tool for Small Business Financing", International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. 2016;4(1):68-72.

6. Rudrawar MAA, Uttarwar VR. An Evaluatory Study of MUDRA Scheme. International Journal of Multifaceted and Multilingual Studies, 2016, 3(6).

7. Shahid M, Irshad M. A Descriptive Study of Pradhan Manthri Mudra Yojana (PMMY). International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology, 2016, 121-125.

8. Soni A. MUDRA: Micro Units Development and Refinance Agency. EPRA International Journal of Economic and Business Review, 2016, 33-36.

9. Jain R. Micro Units Development and Refinance Agency (Mudra) Yojana: The Most Innovative Way for Upliftment of Micro Industries. International Journal of Core Engineering & Management, 2015, 2(8).

10. Jain V. Mudra Bank: A Step towards Financial Inclusion. Review of Research Journal, 2016, 5(4). 11. Verma S. Chandra. Mudra Bank to "Fund Small Businesses". Research Spectra, ISSN 2394 -9805, 2015, 1(2-3).

12. Official website of MUDRA scheme. (http://www.mudra.org.in/)